

Headquarters, Coast Guard Region (A&N), Port Blair

Post Box No. 716

Haddo Post, Port Blair – 744 102

Recruitment of civilian vacancies in Indian Coast Guard Region (A&N), Port Blair

1. Applications in the prescribed proforma are invited from the Indian Nationals for filling up the following posts on direct recruitment basis. The eligibility criteria, age etc are mentioned against posts as per following details:-

Name of the post	No. of posts/ category	Qualification	Age	Level in the Pay Matrix
Engine Driver (General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial)	UR-04* SC-01* OBC-02* *Subject to variation dependent on work-load	Matriculation pass or its equivalent from recognized boards. Essential:- (i) Certificate of competency as Engine Driver from a recognized Government Institute or equivalent Desirable:- (ii) Two years service as Sarang on a vessel of over four hundred Boat Horse Power.	18-30 years (relaxable for Govt. Servants upto 40 years in accordance with the instructions/ orders issued by Central Government from time to time.	PB -1/ ₹ 5200-20200 (Pre-revised) (Level-04 in Pay Matrix as per VII CPC)
Sarang Lascar (General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial)	UR-05* SC-01* OBC-01* *Subject to variation dependent on work-load	Matriculation pass or its equivalent from recognized boards. Essential:- (i) Certificate of competency as Sarang from a Government recognized Institute or equivalent Desirable:- (ii) Two years experience as Sarang in-charge of a Vessel of twenty Horse Power.	18-30 years (relaxable for Govt. Servants upto 40 years in accordance with the instructions/ orders issued by Central Government from time to time.	PB -1/ ₹ 5200-20200 (Pre-revised) (Level-04 in Pay Matrix as per VII CPC)
Lascar 1st Class (General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial)	UR-02* *Subject to variation dependent on work-load	Essential:- (i) Matriculation pass or its equivalent from recognized boards. (ii) Three years experience in service on Boat.	18-30 years (relaxable for Govt. Servants, Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Class candidates as per Government Instructions issued from time to time.	PB -1/ ₹ 5200-20200 (Pre-revised) (Level-01 in Pay Matrix as per VII CPC)

2. The number of vacancies indicated in the advertisement is provisional and may increase or decrease or even become NIL depending upon the actual needs of the Region. The Administration also reserves the right to cancel the notified vacancies, at its discretion and such decision will be final and binding on all in the event of cancellation of notified vacancies.

3. The initial posting of the above vacancies will be at **Coast Guard District Headquarters-14, Port Blair (i.e. two Auxiliary Barges Urja Purti & Urja Sanchay)**. However, selected candidates on appointment are liable to serve anywhere in India.
4. Reserved category candidates applying against unreserved post will not be entitled for age relaxation. Upper age limit is relaxable upto 05 years for SC and 03 years for OBC candidates as applicable as per orders issued by Central Govt. from time to time.
5. The crucial date for reckoning the eligibility with regards to age and educational qualification etc. will be the **last date for receipt of applications**.
6. Candidates in Central Govt. Service should submit NOC from their present employer along with applications.
7. Candidates to bring original documents on the date of written examination.
8. Candidates who wish to be considered against vacancies reserved and seek age relaxation, must submit requisite certificate from the competent authority along with their application for the written test, otherwise, their claim for OBC/SC&ST status will not be entertained. The format of certificate for OBC/SC&ST category are placed at Annexure-I & II.
9. The testing procedure is as follows:-
 - (a) **Written test.** The written test will consist of subjects in General English, General Knowledge, Simple Maths and relevant trade questions based on the qualification prescribed for the post applied. Written test will be of multiple choice questions. The maximum marks for the written test will be 80 marks and one hour duration. Candidates must obtain 50% marks to qualify and the candidates who qualify the written test are to be shortlisted for the trade test. In case of SC/ST candidates, the qualifying marks shall be 45%.
 - (b) **Skill Test.** The candidates who qualify the written test will be called for skill test. Skill test will be qualifying in nature and shall have no bearing on the overall merit. Selection will be based on marks/merit obtained in written test only.
10. **How to apply:-** Candidates fulfilling eligibility criteria should send their application neatly typed or hand written in the format given over leaf along with two passport size photographs (One photo to be affixed on application form).
11. The application, should be forwarded to **The Commander, Coast Guard Region (A&N), Port Blair, Post Box No. 716, Haddo (PO), Port Blair – 744 102, A&N Islands** within 30 days from the date of publication of this advertisement in Employment News. The envelope containing the application must be superscribed as **"Application for the post of Engine Driver/ Sarang Lascar/ Lascar 1st Class"**.
12. Application should be submitted **By Ordinary Post only**. The application should accompany the self attested copies of Educational qualification certificate, Age proof, Caste Certificate for OBC/SC/ST and experience certificate, if any. **Application sent by Courier/Speed/Registered post or received after due date will be rejected.**
13. Applications which are not in the prescribed format/without the required certificate duly self attested/without photographs/without signature of the candidates will be summarily rejected.

FORMAT OF APPLICATION

APPLICATION FOR THE POST OF _____

(a)	Name of the Post applied	:	
(b)	Name of the applicant	:	
(c)	Father's Name	:	
(d)	Date of Birth	:	
(e)	Nationality	:	

Affix recent
passport
size colour
photo with
signature

(f)	Identification marks	:	
(g)	Whether SC/ST/OBC/PH	:	
(h)	Educational qualification (i) Technical (ii) Non technical	:	
(j)	Experience (in relevant trade)	:	
(k)	Marital status	:	
(l)	Whether employed in Central Govt/State Govt./PSU. If yes, attach NOC	:	
(m)	Address for communication with PIN Code	:	
(n)	Permanent address	:	

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars furnished above by me are correct to the best of my knowledge and belief, in the event of any information being found to be false or incorrect my candidature/appointment may be cancelled/ terminated without any notice.

Place: _____
Date _____



(Left hand thumb impression)

Signature of the applicant

ANNEXURE-I

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri _____, son of Shri _____, of village _____ District/Division _____ in the _____ State _____ belongs to the _____ community which is recognized as a Backward Class under:-

- Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC (C), dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 186, dated the 13th September, 1993.
- Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated the 19th October, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 163, dated the 20th October, 1994.
- Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section, No.88, dated the 25th May, 1995.
- Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 210, dated the 11th December, 1996.

Shri _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training, O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-1993.

Dated:
SEAL

District Magistrate,
Deputy Commissioner, etc

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
A CANDIDATE BELONGING TO SC/ST**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari _____ Son/daughter of Shri _____ of Village/Town _____ in District/Division _____ of the State/Union Territory _____ belongs to the _____ caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe under.

- The Constitution (Scheduled Caste) order, 1950
- The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950
- The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories)order, 1951
- The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories)order, 1951
- (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification Order)1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act,1966, the State of Himachal Pradesh Act,1970, the North Eastern Areas(Reorganisation) Act, 1971, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976.)
- The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956
- The Constitution (Andaman & Nicobar Islands)Scheduled Tribes Order,1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment) Act,1976
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order,1962
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order,1962
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order,1967
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989
- The Constitution (Scheduled Castes) Order Amendment Act , 1990
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act,1991
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act,1991
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Ordinance,1996

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt _____ Father/Mother of Shri/Smt./Kumari _____ of village/Town _____ in District/Division _____ of the State/UT _____ who belong to the _____ Caste/Tribes which is recognized as a SC/ST in the Sate/Union Territory _____ Issued by the _____ (Name of the Prescribed issuing authority) vide their No. _____ dated _____.

3. Shri/Shrimati/Kumari _____ and or his/her family ordinarily reside (s) in village/ Town _____ of _____ District/Division of the state/Union Territory of _____ Place _____ Date _____

Signature _____
Designation _____
(With seal of Office)

NOTE: The terms 'ordinarily' reside (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

Applicable in the case of SCs,STs persons who have migrated from one State /UT.

List of authorities empowered to issue caste tribes certificate

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Dy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1stClass Stipendiary Magistrate/Sub divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his family normally resides.
(Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate **ONLY FROM THE REVENUE**

DIVISION OFFICER.)

मुख्यालय, तटरक्षक क्षेत्र (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर

पोस्ट बॉक्स सं. 716

हैडो पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर-744102

भारतीय तटरक्षक मुख्यालय (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर में
असैनिक रिक्तियों के लिए भर्ती

1. सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित पद भरने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए पात्रता मापदंड, आयु आदि का उल्लेख किया गया है:-

पद का नाम	पदों की संख्या/वर्ग	योग्यता	आयु	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
इंजन ड्राइवर (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर - मंत्रालयी)	अनारक्षित - 04• अनुसूचित जाति - 01 अन्य पिछड़ा वर्ग - 02 • कार्यभार में परिवर्तन की मात्रा पर निर्भरता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास या इसके समकक्ष अनिवार्य:- (1) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान या समकक्ष से इंजन चालक के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र वांछित/वांछनीय (2) चार सौ से अधिक बोट हॉर्स पावर के जहाज पर सारंग के रूप में दो साल की सेवा	18-30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)	पी बी-1 5200- 20200 (पूर्व संशोधित) लेवल . 4 वेतन मैट्रिक्स VII सी पी सी के अनुसार
सारंग लस्कर (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर - मंत्रालयी)	अनारक्षित - 05• अनुसूचित जाति - 01 अन्य पिछड़ा वर्ग - 01 • कार्यभार में परिवर्तन की मात्रा पर निर्भरता	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास या इसके समकक्ष अनिवार्य:- (1) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान या समकक्ष से सारंग के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र वांछित/वांछनीय (2) बीस अश्वशक्ति के जहाज पर सारंग प्रमारी के रूप में दो वर्ष की सेवा	18-30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)	पी बी-1 5200- 20200 (पूर्व संशोधित) लेवल . 4 वेतन मैट्रिक्स VII सी पी सी के अनुसार
लस्कर प्रथम श्रेणी (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर - मंत्रालयी)	अनारक्षित - 02• • कार्यभार में परिवर्तन की मात्रा पर निर्भरता	अनिवार्य:- (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास या इसके समकक्ष (2) नाव पर सेवा में तीन वर्ष का अनुभव	18-30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छूट)	पी बी-1 5200- 20200 (पूर्व संशोधित) लेवल . 1 वेतन मैट्रिक्स VII सी पी सी के अनुसार

2. विज्ञापन में निर्दिष्ट रिक्तियों की संख्या अस्थाई है और क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ सकती है या घट सकती है या यहां तक कि शून्य हो सकती है। प्रशासन के पास अपने विवेकाधिकार पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है और अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में इस प्रकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. उपरोक्त रिक्त पदों की प्रारंभिक तैनाती तटरक्षक जिला मुख्यालय - 14, पोर्ट ब्लेयर (ऊर्जा पूर्ति व ऊर्जा संचय) में होगी। हालांकि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार आयु में छूट के हकदार नहीं होंगे। समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 05 साल तक ऊपरी आयु सीमा और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 03 साल तक का प्रावधान है।

5. आयु और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंध में पात्रता संगणन के लिए महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

6. केन्द्र सरकार में कार्यरत उम्मीदवार को आवेदन के साथ अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना चाहिए।

7. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा की तारीख पर अपने मूल दस्तावेज लाने होंगे।

8. उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और उम्र में छूट चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए अपने आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-1 व 2 में संलग्न है।

9. परीक्षण प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

(अ) **लिखित परीक्षण:-** लिखित परीक्षा में आवेदन किए गए पद के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर सामान्य ज्ञान, साधारण गणित और प्रासंगिक ट्रेड प्रश्न शामिल होंगे! लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी! लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम 80 अंक होंगे और एक घंटे की अवधि होगी। उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त करने के लिए 50/ अंक प्राप्त करने होंगे और जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें ट्रेड टेस्ट (व्यवसायिक परीक्षणों के लिए चयनित सूची) में शामिल किया जाएगा! अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के मामले में अर्हता अंक 45/ होगा!

(ब) **कौशल परीक्षण:-** लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण होना होगा और इसका समग्र योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों/योग्यता के आधार पर होगा।

10. आवेदन कैसे करें. पात्रता योग्यता/मापदण्ड को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन को दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरों (एक तस्वीर आवेदन पत्र पर संलग्न होनी चाहिए) के साथ दिए गए प्रारूप में अच्छी तरह से टाइप या हस्तलिखित होना चाहिए।

11. आवेदन, कमांडर तटरक्षक क्षेत्र (अं एवं नि), पोर्ट ब्लेयर, पोस्ट बॉक्स सं. 716, हैडो पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर-744 102, अं एवं नि द्वीप समूह को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भेजी जाए। आवेदन युक्त लिफाफा के ऊपर "इंजन ड्राइवर/चालक या सारंग लसकर या लसकर प्रथम श्रेणी" के पद के लिए आवेदन का उल्लेख किया जाए।

12. आवेदन केवल सामान्य डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो स्वयं की प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें। कुरियर/तीव्र/पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए आवेदन अथवा देय तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

13. आवेदन जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं/बिना आवश्यक प्रमाण पत्र पूर्णतः स्वयं प्रमाणित/बिना फोटो/ उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन का प्रारूप

हस्ताक्षर के
साथ पासपोर्ट
आकार का
नवीनतम
रंगीन फोटो
चिपकाएँ

_____ पद के लिए आवेदन

(a)	आवेदित पद का नाम	:	
(b)	आवेदक का नाम	:	
(c)	पिता का नाम	:	
(d)	जन्म तिथि	:	
(e)	राष्ट्रीयता	:	
(f)	पहचान चिन्ह	:	
(g)	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग हैं ?	:	
(h)	शैक्षणिक योग्यता (i) तकनीकी (ii) गैर तकनीकी	:	
(j)	अनुभव (संबंधित व्यवसाय में)	:	
(k)	वैवाहिक स्थिति	:	
(l)	यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के कर्मचारी हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें	:	
(m)	पत्राचार का पता पिन कोड के साथ	:	
(n)	स्थायी पता	:	

घोषणा

DECLARATION

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, किसी भी जानकारी के झूठी या गलत साबित होने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द अथवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान _____
दिनांक _____

बाएँ हाथ के अंगूठा का निशान

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है की श्री ----- सुपुत्र श्री ----- निवास ग्राम-----
जिला / प्रभाग ----- राज्य का निवासी ----- समुदाय से है जिसे निम्नलिखित पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है:-

- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, संकल्प नं. 12011/68/93 - बी सी सी (ग) दिनांक 10 सितम्बर 1993, भारत के राजपत्र में प्रकाशित , असाधारण भाग - 1, अनुभाग - 1, नं. 186, दिनांक 13 सितम्बर 1993.
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, संकल्प नं. 12011/9/94 - बी सी सी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र में प्रकाशित , असाधारण भाग - 1, अनुभाग - 1, नं. 163, दिनांक 20 अक्टूबर 1994.
- भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प नं. 12011/7/95 - बी सी सी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग - 1, अनुभाग - 1, नं. 88 दिनांक 25 मई 1995.
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, संकल्प नं. 12011/44/96 - बी सी सी दिनांक 06 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र में प्रकाशित , असाधारण भाग - 1, अनुभाग - 1, नं. 210, दिनांक 11 दिसंबर 1996.

श्री ----- एवं अथवा उनका परिवार समान्यतया ----- जिला / ----- राज्य के प्रभाग में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार की अनुसूची, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के कार्यालय जापन सं (एस सी टी) दिनांक 8 सितम्बर 1993 के अंतर्गत ----- कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों / अनुभागों (नवोन्नत वर्ग) का निवासी नहीं है।

दिनांक:-
मोहर:-

जिला मजिस्ट्रेट,
उपायुक्त, इत्यादि

संलग्नक -II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत/किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /निवास ग्राम -----सुपुत्री श्री /सुपुत्र -----कुमारी /श्रीमती /
राज्य /जिला -----कस्बा / संघ प्रदेश जनजाति समुदाय से है /जाति -----का निवासी -----
:जनजाति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है /जो निम्नलिखित जाति

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ प्रदेश) आदेश आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियाँ) और जनजातियों को यथा संशोधित सूची (आशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनः आयोजन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनः आयोजन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनः आयोजन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976)
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अंडमान एवं निकोबार - द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 यथा संशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976
- संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पोण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तरप्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय आदेश संशोधन अध्यादेश, 1996

2. यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमति / कुमारी के माता-पिता श्री / श्रीमति को जारी किये गए अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर ----- प्रभाग /जिला -----शहर /ग्राम -----राज्यसंघ / जनजाति के रूप में /संघ प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्य है जिन्हे राज्य /जाति ----- प्रदेश के द्वारा जारी किया -----दिनांक -----के द्वारा निर्गम सं (निर्धारित निर्गम प्राधिकारी का नाम)मान्यता प्राप्त है है। जाता

3 श्री उसका परिवार साधारणतय /एवं उसकी -----कुमारी /श्रीमति / ग्राम----- शहर / जिला संघ राज्य के निवासी है। /राज्य का प्रभाग /

स्थान----- : हस्ताक्षर----- :
दिनांक----- : पदनाम -----
(कार्यालय मोहर सहित)

टिप्पणी : 'साधारणतया' निवास संबन्धित शब्द का प्रयोग का अर्थ कर्मचारी शिकायत अधिनियम (इस्तेमाल), 20के अनुभाग 1950 के समान अर्थ होगा।

ऐसे शब्द जो प्रयोज्य न हों उन्हें निकाल दिया जाए। (गूला)

अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति जो एक राज्यसंघ प्रदेश के प्रवासी हैं /, पर यह लागू होगा।

प्राधिकारियों की सूची जो जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समर्थ है

1. जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अपर उप आयुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी (वेतनभोगी) मैजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / ताल्लुका मैजिस्ट्रेट / कार्यपालक मैजिस्ट्रेट।
2. मुख्य महाप्रान्त मैजिस्ट्रेट न्त मैजिस्ट्रेट।महाप्रा /मुख्य महाप्रान्त मैजिस्ट्रेट (अपर)अतिरिक्त /
3. राजस्व अधिकारी जो तहसील के रैंक से नीचे के पद पर न हो।
4. क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उनका परिवारसाधारणतया निवास कर रहा है।

(टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के जनजाति उम्मीदवार (केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)